उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 05.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 05.08.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 05.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में यातायात पुलिस टीम ने चलाया यातायात जागरुकता/चेकिंग अभियान, पढाया गया यातायात नियमों का पाठ।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने व यातायात व्यवस्था को गतिमान बनाये रखने तथा जनपदवासियों में यातायात नियमों के प्रति जनजागरुकता के उद्देश्य से यातायात पुलिस टीम द्वारा निरन्तर सघन चेकिंग/जागरुकता अभियान चलाया गया है।

जिसके क्रम में अभियान के तहत आज दिनांक- 05.08.2025 प्रभारी यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा लोगों को जागरुक करते हुये सभी से अपील की जा रही है कि यातायात नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय हमेशा सुरक्षा मापदण्डों का पालन करें। साथ ही सम्बन्धित वाहन के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत सीज/चालान की कार्यवाही की गयी है। जिससे लोगो में यह सन्देश जाये कि यातायात नियमों का पालन न करते हुए सड़क में चलना उचित नहीं है।

इसी क्रम में जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के पालन हेतु यातायात पुलिस टीम द्वारा स्पीड राडार/कैमरा उपकरण के माध्यम से ओवरस्पीड वाहनों की चेकिंग की गई तथा नियम विरुद्ध चालकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई।

महोबा पुलिस आप सभी से अपील करती है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा न करें, यातायात नियमों का पालन करें, अपना तथा अपनों का जीवन सुरक्षित करें।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा गूगल मीट के माध्यम से जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं जनपद के थानों में IGRS पोर्टल का कार्य देख रहे कर्मचारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी की गई, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...।

आज दिनांक- 05.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह (नोडल पुलिस अधिकारी आईजीआरएस) एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गोंड की उपस्थिति में गूगल मीट के माध्यम से जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं जनपद के थानों में IGRS पोर्टल का कार्य देख रहे समस्त पुलिसकर्मियों के साथ गोष्ठी कर आईजीआरएस पोर्टल में गुणवत्तापूर्ण कार्यों की समीक्षा की गयी है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा आईजीआरएस से सम्बन्धित शिकायतों का पुलिसकर्मियों को समय से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि भूमि विवाद से सम्बन्धित शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर निस्तारित करने व भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों को समाधान दिवस रजिस्टर पर दर्ज करने और समाधान दिवस पर दोनों पक्षों को बुलाकर निस्तारण कराया जाए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि आईजीआरएस पोर्टल में प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच मौके पर जाकर की जाये साथ ही हल्का प्रभारी व थाना प्रभारी द्वारा प्रत्येक दशा में पीडित से फीडबैक लिया जाए। उन्होंने पुलिस कार्यालय में अवस्थित आईजीआरएस कर्मियों को निर्देशित किया कि जनशिकायत के लम्बित होने व उनके निस्तारण का क्षेत्रवार व थानावार विवरण प्राप्त कर निरंतर समीक्षा की जाए। कहा कि प्रत्येक पीडित को उसकी शिकायत के सम्बन्ध में संतुष्ट करते हुए IGRS पोर्टल में हुए आंशिक संशोधनों के सम्बन्ध में ब्रीफ कर प्राप्त जनशिकायतों का मानक के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 05.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

क्षेत्राधिकारी चरखारी/कार्यालय द्वारा अग्निशमन विभाग, रेडियो शाखा, रिट सेल एवं परिवहन शाखा का किया गया मासिक निरीक्षण

आज दिनांक 05.08.2025 को क्षेत्राधिकारी चरखारी/ कार्यालय महोबा श्री रविकान्त गोड़ द्वारा अग्निशमन विभाग, रेडियो शाखा, रिट सेल एवं परिवहन शाखा का मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शाखाओं के कार्यप्रणाली एवं संसाधनों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

1. अग्निशमन विभाग

- सभी अग्निशमन वाहनों को सदैव रेडी पोजीशन में रखने के निर्देश।
- किसी भी घटना/इवेंट पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाने पर जोर।
- समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजित कर कर्मियों की तत्परता एवं दक्षता बढ़ाने के निर्देश।
- निष्प्रयोज्य उपकरणों व वाहनों का नियमानुसार निस्तारण।
- सभी वाहनों एवं उपकरणों के नियमित रखरखाव एवं अद्यतन रिकॉर्ड संधारण के निर्देश।

2. रेडियो शाखा

- सभी स्टैटिक व मोबाइल वायरलेस सेट, हैंडसेट व बैटरियों की नियमित जाँच एवं आवश्यकतानुसार मरम्मत।
- संचार व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने हेतु सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान की व्यवस्था सुदृढ़ करना।
- सभी संबंधित रिकॉर्ड को अद्यतन व सुव्यवस्थित रखने के निर्देश।

3. रिट सेल

- सभी अभिलेखों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि प्रति शपथपत्र, इंस्ट्रक्शन, हैबियस कॉर्पस, एस.एल.पी., सिविल रिट एवं बेल कॉमेंट्स समयबद्ध एवं नियमानुसार दाखिल हों।
- प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश।

4. परिवहन शाखा

- वाहनों से संबंधित रिकॉर्ड को अद्यतन रखना।
- डीज़ल/पेट्रोल का वितरण एवं वाहनों की मरम्मत कार्य नियमानुसार करना।
- निष्प्रयोज्य वाहन, तेल एवं उपकरणों की नीलामी नियमानुसार संपन्न कराना।

क्षेत्राधिकारी महोबा ने सभी संबंधित शाखाओं को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग के कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखें, जिससे पुलिस विभाग की कार्यक्षमता एवं जनसेवा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार हो सके।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत श्री प्रबल प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जे0एम0-2 कोर्ट महोबा द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 697/2012 धारा 279/337/427 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त वीरपाल पुत्र लच्छू राजपूत निवासी शाहपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

चोरी की घटना कारित करने एवं अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 04 हजार/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन के साथ मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जे.एम.-2 कोर्ट महोबा द्वारा चोरी की घटना कारित करने एवं अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार आरोपी अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया गया जिसमें अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु.अ.सं. 740/2002 धारा 457/411/380 भादवि व मु.अ.सं. 799/2003 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त रमेश अहिरवार पुत्र मातादीन निवासी टीकामऊ थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा हालपता हवेली दरवाजा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को जेल में बिताई गयी अवधि व 04 हजार रु./- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।